(4)

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 124] रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 अप्रैल 2006—चैत्र 13, शक 1928

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-11/2006/1/6.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपील) नियम 2006 है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. परिभाषाएं—

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005);

(ख) "धारा" से अभिप्रेत है, उक्त अधिनियम की धारा ;

(ग) "गरीबी रेखा के नीचे" से अभिप्रेत है, कि छत्तीसगढ़ सरकार के वह नागरिक जिन्हें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे का होना घोषित किया गया हो ;

(घ) "फीस" से अभिप्रेत है, अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत देय शुल्क ;

(ङ) शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जो इन नियमों में प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नहीं है, उनके वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिये गए हैं.

3. प्रथम अपील—

(1) यदि कोई व्यक्ति धारा-7 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर निश्चय प्राप्त नहीं करता है या प्राप्त नहीं होता है अथवा लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, वह ऐसे कालावधि के व्यतीत होने के तीस दिवस के भीतर अथवा ऐसे निश्चय के प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर लोक सूचना अधिकारी के, वरिष्ठ अपीलीय अधिकारी को अपील के ज्ञापन के साथ 50/- (यदि अपील आदेश डाक द्वारा चाही गई हो तो रु. 75) का शुल्क नगद या नान ज्युडिशियल स्टाम्प के साथ प्रस्तुत कर सकेगा. परन्तु यह कि ऐसा अपीलीय अधिकारी तीस दिवस की कालावधि के पश्चात् भी अपील सुनवाई के लिए ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से अपील समयावधि में प्रस्तुत करने में विफल रहा है.

(2) अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता, जन सूचना अधिकारी का नाम तथा पदनाम, जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना न देने अथवा अपूर्ण अथवा भ्रामक जानकारी देने अथवा फीस का भुगतान करने के आदेशों का अथवा समयावधि में जानकारी न देने का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा.

(3) अपील की सुनवाई हेतु अपीलीय अधिकारी संबंधित जन सूचना अधिकारी को कम से कम 7 दिवस का नोटिस देगा.

(4) उपनियम (1) के अंतर्गत अपील प्राप्त किए जाने से तीस दिवस के भीतर या ऐसी बढ़ाई गयी कालावधि के भीतर जो अपील फाइल करने की तारीख से कुल मिलाकर पैंतालिस दिवस से अधिक नहीं हो, यथास्थिति लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए निपटाई जाएगी.

(5) अपील में पारित आदेश की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदाय की जाएगी.

4. द्वितीय अपील—

(1) इस नियम के उप नियम (3) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को उस तारीख से नब्बे दिवस के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी जिस तारीख को विनिश्चय पारित हो गया अथवा जब विनिश्चय वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया है अथवा उस तारीख से जिस तारीख को प्रथम अपील प्रस्तुति को पैंतालिस दिवस हो गये.

परन्तु यह कि राज्य सूचना आयोग नब्बे दिवस की कालावधि के बीतने के पश्चात् भी अपील सुनवाई के लिए ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से विफल रहा है.

(2) अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता प्रथम अपीलीय अधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही हो उसका नाम तथा पदनाम और जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही हो उसकी सत्यापित प्रति देना होगा.

(3) राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील के ज्ञापन के साथ रुपये 100/- (रुपये सौ) (यदि आदेश की प्रति डाक से चाही गई हो तो रु. 125) की फीस नगद चालान, मनीआर्डर या नान ज्युडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा करना होगा.

(4) राज्य सूचना आयुक्त यथास्थिति लोक प्राधिकारी और/अथवा जन सूचना अधिकारी और/अथवा अपीलार्थी को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए अपील का निराकरण करेगा.

(5) अपील की सुनवाई हेतु सूचना आयुक्त संबंधित पक्षकारों को कम से कम सात दिवस का नोटिस देगा.

(6) राज्य सूचना आयुक्त का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

5. राज्य सूचना आयुक्त के विनिश्चय की प्रति अपीलार्थी को नि:शुल्क प्रदाय की जाएगी परन्तु यदि अपीलार्थी आदेश की प्रति डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता है तो अपीलार्थी से डाक शुल्क प्राप्त कर तीस दिवस के अंदर भेजी जाएगी.

6. नियम 3 एवं 4 के अंतर्गत देय फीस ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी रेखा से नीचे है से प्रभारित नहीं की जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2006

क्रमांक एफ 2-11/2006/1/6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2-11/2006/1/6 दिनांक 17 मार्च, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.

Raipur, the 17th March 2006

NOTIFICATION

No. F 2-11/2006/1/6.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 27, the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) the State Government hereby makes the following rules, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement—**

(1) These rules may be called the Chhattisgarh right to information (Appeal) rules 2006.

(2) It shall come in to force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions—**
In the rules unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) ;

(b) "Section" means the sections of the Act ;

(c) "Below poverty line" means such citizen of state of Chhattisgarh who is declared as below poverty line by the Government of Chhattisgarh ;

(d) "Fees" means the fees payable under the provisions of the Act ;

(e) The word and expressions used but not defined in these rules carry shall meaning as have been assigned to them in the Act.

3. **First Appeal—**

(1) Any person who does not receive a decision within the time specified in sub-section (1) or clause (a) of sub-section (3) of section 7 or is aggrieved by a decision of the state public information officer may within thirty days from the receipt of such a decision prefer an appeal with a fee of Rs. 50/- (Fifty

post appeal Rs. 75/-) either in cash or in the form of non-judicial stamp to such officer who is senior in rank to the state public Information officer in each public authority, Provided that such officer may admit the appeal after expiry of the period of thirty days on being satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) In the memorandum of appeal, the name and address of the appellant the basis of the subject matter of the information with the name and the post of the competent authority, the order of the competent authority and payment of fee or not providing information in time, shall be clearly specified.

(3) for hearing of the appeal the appellate authority shall give minimum 7 days notice to the concerned Public Information Officer.

(4) An appeal under sub-rule (1) shall be disposed of within thirty days of the receipt of the appeal or within such extended period not exceeding a total of fourty five days recording the reasons in writing for the period extended.

(5) The copy of order passed in appeal shall be given free of cost.

4. **Second Appeal—**

(1) A second appeal shall be against the order passed under sub-rule (3) within ninety days from the date on which the order was passed or was actually received to the State Information Commissioner or within fourty five days from the date of filing of first appeal.

Provided that the State Information Commissioner may admit the appeal after the expiry of the period of ninety days on being satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) In the memorandum of appeal the name and addess of the appellant the basis of the subject matter of the information with the name and the post of the competent authority and certified copy of the order of the competent authority shall be given.

(3) With the memorandum of appeal filed before the State Information Commissioner the fee of Rs. 100/- (rupees one hundred) (for appeal by post Rs. 125/-) in cash or in the form of non-judicial stamp shall be deposited.

(4) The State Information Commissioner shall after giving reasonable opportunity of being heard to public authority or state public information officer or appellant as the case may be decide the appeal assigning the reasons there on.

(5) Information Commissioner shall give minimum 7 days notice to concerned parties.

(6) The decision of the State Information Commissioner shall be final and binding.

5. A copy of the decision of the State Information Commissioner shall be given free of cost, to the appellant if the appellant wants to receive the copy of the order by post then after receiving the fee of postal charges copy shall be sent within 30 days.

6. The fee chargeable under rule 3 and 4 shall not be charged from the persons who are below poverty line.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
NAND KUMAR, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित— 2006.